

**न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर**

राजस्व अपील संख्या 59/2009

1. राजेन्द्र पुत्र श्री मिश्रीलाल
  2. प्रेमी बेवा गोरधन
  3. घनश्याम पुत्र शंकरलाल
- जाति भांबी निवासी ग्राम दौलतपुरा बलाईयान, तहसील ब्यावर जिला-अजमेर।  
.....अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार

..... रेस्पोंडेंट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :- 1. श्री दिलीपसिंह राठौड  
2. श्री हेमराज राठौड

अभिभाषक अपीलार्थीगण  
राजकीय अभिभाषक

**आदेश**

दिनांक :- 03.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2066 में अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम दौलतपुरा बलाईयान तहसील ब्यावर जिला-अजमेर स्थित आराजी खसारा सं० 204 कुल रकबा 48-02-00 बीघा किस्म सिवायचक दांती मे से 04-00-00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से कॉटें की बाड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 25/2009 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 30.09.2009 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा सरकार करने के साथ ही शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2009 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 28.6.2017 को बरवक्त सुनवाई अपीलान्ट्स/अभिभाषक अपीलान्ट्स के उपस्थित नहीं आने पर प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दिनांक 9.9.2017 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.9.2019 को सुना जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साईक्लोस्टाईल प्रोफार्मा में पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने तथा आदेश की परिभाषा में नहीं आने से निरस्त योग्य है। बहस जारी रखते हुए उन्होंने आगे कथन किया कि विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट्स, करीब 30 वर्षों से काविज चले आ



**Atkharao**

जिला कलक्टर  
अजमेर


रहे हैं, जो कि पशुओं को बाँधने एवं चारा रखने के उपयोग में आ रही हैं। इसलिए उक्त आराजियात नियमन योग्य है। प्रश्नगत सिवाय चक आराजी पर काफी लोगों के कच्चे व पक्के मकानात बने हुए हैं, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। पटवारी हल्का से एक पक्षीय रिपोर्ट राजनैतिक द्वेषता के तहत पेश करवाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिक प्रक्रिया के तहत, जवाब साक्ष्य व जिरह का अवसर प्रदान किये बिना पारित आक्षेपित आदेश प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2009 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। अपीलान्ट्स द्वारा राजकीय भूमि पर दुबारा काँटे की बाड लगाकर, अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2009 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलक्टर,  
अजमेर